

कार्यालय:मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि.राजस्थान जयपुर

क्रमांक: SE/WB/RRSMP/15-16/1238

दिनांक: 11-01-2016

अधिसासी अभियन्ता,
पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक)
खण्ड झालावाड

विषय:- वन विभाग में आने वाली सड़कों के भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑन लाईन करने के लिए
अधिकृत करने के क्रम में,

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके खण्ड के अधीनस्थ आर.आर.एस.एम.पी. योजना में स्वीकृत निम्न सड़क जो कि वन विभाग की सीमा में होकर निकलती है एवं वन विभाग के रोक के कारण निर्मित नहीं हो पा रही है। उनके भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के प्रकरण को ऑन लाईन करने हेतु आपके खण्ड को अधिकृत कर लेख है कि आप निम्न सड़क से सम्बन्धित भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण वन विभाग की गाईड लाईन के अनुसार अपलोड करेंगे एवं समय समय पर विभाग द्वारा जो भी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी एवं कोई भी आपत्तिया प्रकरणों से सम्बन्धित ऑन लाईन प्राप्त होती है तो उन्हें पूर्ण करते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे:-

क्रम सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत लम्बाई	वन सीमा में लम्बाई
1	सम्पर्क सड़क रामठी से रसूलपुरा (रोरपुर से रसूलपुरा)	आर.आर.एस.एम.पी. RJ-19-WB RRSMP-42	5.20 KM	2.20 KM.

मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई)
सा.नि.वि.राजस्थान जयपुर